न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2018/267/225 (2018/00267)

1. सूरजकरण पुत्र छगना, जाति जाट,
2. देवकरण पुत्र रामा, जाति जाट,
3. गोपाल पुत्र छगना, जाति जाट,
4. प्रहलाद पुत्र गोकुल, जाति जाट,

निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अमरा पुत्र शोदान, जाति जाट, वासी दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. जगदीश पुत्र सांवरलाल, जाति जाट, निवासी दिलवाड़ा, तह0नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती सुप्यारी पत्नि रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. विश्राम पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी दिलवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. विष्णु पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी दिलवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

7. ट्रॉसपोर्ट नगर दिलवाड़ा, जरिये अध्यक्ष उमराव यादव पुत्र सुवालाल यादव, निवासी ट्रॉसपोर्ट नगर, दिलवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 5.9.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 3/2015.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शशिकांत जोशी, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री मदनसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 7.
5. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 स्वंय उपस्थित ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 5.9.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. <u>प्रार्थीगण/अपीलांटस</u> एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 एवं 4 लगायत 6 के पिता रामचंद्र ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 एवं राज्य सरकार के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खाता संख्या 315/298 के खसरा नंबर 184, 193, 194, 216, 217, 223, 224 ग्राम पंचायत देराठू ट्रॉसपोर्ट नगर हेतु आरक्षित स्थल है । ग्राम बारापत्थर के खसरा नंबर 185, 136, 187, 191, 262/1330, 263, 264, 406, 47, 408, 446, 447, 45, 451, व 453 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है । खसरा नंबर 187 रकबा 0.12 है0 की किस्म गै0मु0 रास्ता है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है जिस पर से प्रार्थीगण अपने खेतों में आवागमन करते है । खसरा नंबर 181 प्रार्थी संख्या 2 व 4 की खातेदारी का है व खसरा संख्या 166 व 167 प्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 आदि का है जिसके समीप ही प्रार्थीगण के अन्य खातेदारी खेत है जिस पर आने–जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नहीं है । वर्तमान में प्रार्थीगण को खसरा नंबर 185 के सीमांकन में से मार्गाधिकार वांछित है। साथ ही खसरा संख्या 187 गै0मु0 रास्ते के रूप में है जिसे उपलब्ध कराये जाने पर प्रार्थी के कृषि कार्य सम्पन किये जा सकते है । प्रार्थीगण के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने से खसरा नंबर 185 में से 30 फुट चौड़ाई में मार्ग उपलब्ध कराया जावे एवं खसरा संख्या 187 रकबा 0.12 है0 गै0मु0 रास्ता को भी रास्ते के रूप में प्रार्थीगण के पक्ष में डी0एल0सी0 की दरों के अनुरूप उपलब्ध कराया जावे व दिये गये मार्ग का राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 5.9.2018 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए में जो रास्ता बताया गया है के अलावा और कोई वैधानिक रास्ता नहीं है । केवल मात्र यही एक मात्र रास्ता है ।अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि खसरा संख्या 184 जो कि ट्रॉसपोर्ट नगर की भूमि है एवं दीवानी न्यायालय के समक्ष मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अन्य रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार खसरा नंबर 184 जो कि ट्रॉसपोर्ट नगर की भूमि है कि जिसमें रास्ता दिलाये जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है एवं साथ ही अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस का आवेदन पत्र इस आधार पर भी निरस्त किया है कि अपीलांटस के पास दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका निरीक्षण के अनुसार रास्ता होना दर्शाया गया है जबकि आवेदनकर्ता के पास अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र धारा 251–ए में अंकितानुसार और कोई अन्य रास्ता ही नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के द्वारा आवेदनकर्ता का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की है । वर्तमान खसरा नंबर 187 राजस्व नक्शे में एवं जमाबंदी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है ऐसी स्थिति में अपीलांटस की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 187 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है से होकर रास्ता दिये जाने में अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी प्रकार की क्षति एवं परेशानी नहीं होगी बल्कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता आवश्यक है, अन्य कोई रास्ता अपीलांटस की खातेदारी की भूमि पर आवागमन के लिए नहीं है किन्तु अधी0न्याया0 ने समस्त वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना मौका

निरीक्षण किये अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के द्वारा प्रकरण संख्या 50/2015 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 94–ई, 151 जा0दी0 के प्रकरण में भी अपीलांटस का आवेदन पत्र दिनांक 17.8.2015 को रास्ता बाबत् स्वीकार किया गया है । अपीलांटस की खातेदार की भूमि पर कृषि कार्य हु आवागमन एवं ट्रेक्टर बैलगाड़ी इत्यादि लाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जबकि अपीलांटस को उनकी खातेदारी भूमि पर रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है अन्यथा अपीलांटस कृषि कार्य से वंचित हो जावेगें । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अपीलांटस को उनकी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 187 जो कि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है, मे से होकर रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि खसरा संख्या 187 रेस्पो0 संख्या 1 की निजी खातेदारी की आराजियात है । अपीलांटस के पास पूर्व से रास्ता उपलब्ध है इस कारण अपीलांटस का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है । अपीलांटस द्वारा जिस रास्ते का उल्लेख किया है उसमें अपीलांटस को खसरा नंबर 571 में से भी प्रवेश करना होगा जबकि खसरा नंबर 571 चारागाह भूमि है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । तहसीलदार एवं कमीश्नर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांटस के पास अपने खेतों में जाने के लिए अन्य मार्ग उपलब्ध है । तहसीलदार की रिपोर्ट दर्शित रास्ते के अनुसार नेशनल हाईवे से लगता हुआ जो लघुतम एवं दीर्घतम मार्ग दर्शित किया गया है जो खसरा संख्या 571 चारागाह भूमि में आता है एवं चारागाह भूमि में अपीलांटस किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते है । प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का रास्ता कभी भी अप्रार्थी के खसरा संख्या 185 व 187 में से नहीं रहा है । खसरा नंबर 185,186 व 187 अप्रार्थी की निजी भूमियां है जिन पर अप्रार्थी ट्रॉसपोर्ट नगर के मार्ग से ही आवागमन करता है व अप्रार्थी के खेतों के उत्तरी और काफी पहले ही प्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने के अन्य कई मार्ग स्थित है जिनसे अपीलांटस आवागमन करते है । अप्रार्थी के खेत दक्षिण दिशा में है तथा प्रार्थीगण के तथाकथित खेतों के खसरा नंबर उत्तर पश्चिमी और स्थित है जबकि उन्हें अन्य मार्ग उपलब्ध है । ट्रॉसपोर्ट नगर का मार्ग अप्रार्थी के खेतों के उत्तरी छोर ही समाप्त हो जाता है जहां अप्रार्थी के खेतों की मेड़ नींव खुदी है व दीवार आदि उठाकर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाना चाह रहे है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें अप्रार्थी संख्या 1 के कौन से खसरा नंबर में से रास्ता चाहिये व कौन से खसरा नंबर मे से वर्तमान में आवागमन करते है । अपीलांटस के पास पूर्व से रास्ता मौजूद होने से अपीलांटस नवीन रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649 हाई कोर्ट राज0 एवं 2016–17 आर0आर0टी0 पेज 677 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलांटस की अपील स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । खसरा नंबर 184 के दक्षिण दिशा में बनी दीवार से लगता हुआ रास्ता जो कि पूर्व से पश्चिम यानि नेशनल हाईवे रोड़ से खसरा नंबर 180 अपीलांटस की खातेदारी की भूमि तक आवागमन का रास्ता चला

आया है जिसे रेस्पो0 संख्या 1 अमरा पुत्र सोदान के द्वारा बंद करने के प्रयास किये जा रहे है तथा ट्रॉसपोर्ट नगर की भूमि के खसरा नंबर 184 में अपीलांटस का उनकी खातेदारी भूमि पर कभी भी आवागमन नहीं रहा है एवं ना ही ट्रॉसपोर्ट नगर की भूमि से रास्ता ही दिया जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। खसरा नंबर 180, 181, 182, 183, 176, 177, 178, 175, 170,171, 172, 173, 174, 166 एवं 167 प्रार्थीगण/अपीलांटस की खातेदारी आराजियात है । अपीलांटस ने विवादित आराजियात में आवागमन हेतु खसरा संख्या 184 व 185 के मध्य से होकर मार्गाधिकार होना बताते हुए अन्य कोई आवागमन का मार्गाधिकार उक्त खेतों पर उपलब्ध नहीं होना बताया है । खसरा नंबर 184 ट्रांसपोर्ट नगर हेतु आरक्षित भूमि है तथा खसरा संख्या 185, 186 व 187 अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है । अपीलांटस ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं ट्रांसपोर्ट नगर की आराजी में से आवागमन होने का कथन किया है। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है । भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 17.6.2015 को मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाई है । उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे से अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 180 के लगवा खसरा संख्या 187 रास्ता दर्शाया गया है जो खसरा संख्या 208 गै0मु0 रास्ते में मिलता है । खसरा संख्या 208 रास्ता के आगे खसरा संख्या 571 चारागाह भूमि से होकर मुख्य सड़क तक आवागमन का रास्ता उपलब्ध है । भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी उक्त रिपोर्ट मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है । जहां तक खसरा संख्या 187 गै0मु0 रास्ते पर अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पो0 द्वारा अतिक्रमण किये जाने का प्रश्न है कि इस संबंध में अपीलांटस सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रावधित प्रावधानों के तहत रास्ता खुलवाने का अनुतोष प्राप्त कर सकता है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नवीन रास्ते बाबत् अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.9.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर